न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

एनरीक्षण कमांक................/15

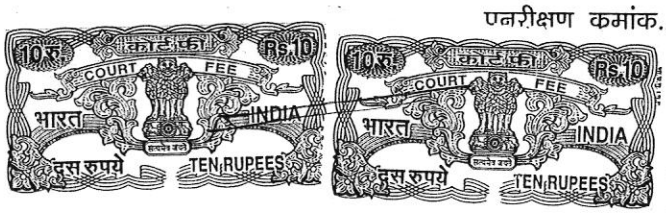

राजभान तनय श्री नर्वदा नाई निवासी ग्राम पहाड़ी तहसील हनुमना जिला रीवा

R-5190-II/15 म0प्र0

---आवेदक/निगरानीकर्ता

विरुद्ध

1. रामसजीवन बढ़ई तनय रामदास बढ़ई निवासी ग्राम पहाड़ी तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0
2. म0प्र0 राज्य --अनावेदक/गैर निगरानीकर्ता

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश नायब तहसीलदार तहसील हनुमना बृत्त पहाड़ी जिला रीवा म0प्र0 दिनांक 01.09.15 जो प्रकरण कमांक 16/अ-12/15-16 मे पारित।

संबंधित भूमि खसरा नम्बर 765/1 की जो स्थिति सीमांकन प्रतिवेदन मे दर्शाई गई है उसे निरस्त करने के बिन्दु पर ।

मान्यवर,

पुनरीक्षण अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर प्रस्तुत है:-

1. अधीनस्थ न्यायालय की सम्पूर्ण कार्यवाही व आदेश दिनांक 01.09.15 सर्वथा विधि विधान एवं न्यायिक प्रकिया तथा सिद्धांतो के प्रतिकूल होने से निरस्त किए जाने योग्य है।
2. भूमि नंम्बर 765 के कई उपखण्ड मौके मे कायम है। सभी उपखण्डों का निर्धारण करके स्थाई वंदोवस्ती चिन्ह के आधार पर सीमांकन करना

XXXIX(a)-BR(H)-11 1

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-5190-पीबीआर/15 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3-2-16	प्रकरण में निगराकार के विद्वान अभिभाषक के तर्क सुने गए तथा उपलब्ध अभिलेख का परिशीलन किया गया। इनके प्रकाश में मैं निम्न बिन्दु प्रकरण में मुख्यतः प्रकट पाता हूँ:— (क) गैरनिगराकार-1 रामसजीवन की भूमि स.न. 765/1 की सीमा से निगराकार राजभान नाई की भूमि स.न.-765/2ग लगी हुई है। (ख) नायब तहसीलदार द्वारा दि. 17.7.15 की पेशी में दि 25.7.15 तक में आदेश के पूर्व लिखित तर्क प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया है, इसके बाद कोई दिनांक तय किए बगैर दि-1.9.15 को आदेश पारित किया गया है। इस आधार पर दि. 24.11.15 को निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के लिये क्षमा मांगी गई है। (ग) स्थाई सीमा चिन्हों का आधार लिये जाने का लेख कहीं नहीं है। प्रतिवेदन में क्षेत्रफल की कमी-बेशी का लेख किए जाने के बावजूद, अतिक्रमण / अवैध कब्जे का लेख कर दिया गया है। (घ) सूचनापत्र में निगराकार राजभान नाई के हस्ताक्षर नहीं हैं; तथा	

[क्र. प. उ.

R - 5190/2-II/15 सीधा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	पंचनामे में शालमान बढ़ई (जो कि रामभाग नाई) के हस्ताक्षर हैं, जो निगरानीकार रामभाग नाई के वकालतनामे पर उपलब्ध हस्ताक्षर से पूरी तरह से प्रथमदृष्टया मेल खाते नहीं लगते।	
	उपरोक्त बिन्दुओं के प्रकाश में मेरे निम्न मत हैं :-	
	(1) बिन्दु (ख) के प्रकाश में विलम्ब क्षमा-योग्य है, जो मैं माफ करता हूँ।	
	(2) निगरानीकार शालभाग नाई को सूचनापत्र तामील नहीं हैं, ना ही यह पूरी तरह माना जा सकता है कि वे मौके पर उपस्थित थे।	
	(3) सीमांकन की कार्यवाही त्रुटिपूर्ण एवं अस्पष्ट है क्योंकि (i) स्थाई सीमाचिन्हों का आधार नहीं लिया गया और (ii) रकबे के संबंध में प्रतिवेदन में अस्पष्टता का दोष है।	
	अतः, उपरोक्त बिन्दु (1) से (3) के प्रकाश में एवं उनके आधार पर मैं आक्षेपित आदेश दि 1-9-15 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता एवं उसे निरस्त करता हूँ।	
	साथ ही तहसीलदार - हनुमना को यह निर्देश देता हूँ कि वे रकबे इत्यादि के संबंध में पहले पूर्ण	

शाक्षेमुग्वा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-5190/दो/05 जिला टीक

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	स्पष्टता सुनिश्चित करें, और फिर भोगाधिकार सहित समस्त सरहदी कृषकों और हितबद्ध पक्षकारों को विधिवत सूचना एवं पक्ष समर्थन का मौका देते हुए, इस रा. मं. के आदेश की उन्हें सूचना के अधिकतम दो माह के भीतर, नए सिरे से मौके की कार्यवाही कराते हुए बटांकन स्वरूप का आदेश प्रकरण में पारित करना सुनिश्चित करें। आदेश पारित। पक्षकार एवं तहसीलदार तदनुसार सूचित हों। प्रकरण समाप्त। दा-द-हो। (सदस्य)	

[कृ. प. उ.